



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN : U40101UP2004SGC028687

शक्ति भवन विस्तार 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001

पत्रांक: /उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०/निर्देश (44)/

दिनांक 29/06/2017

उप महाप्रबन्धक (लेखा) / (निधि प्रबन्ध),
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय,
पारेषण पूर्व/पारेषण पश्चिम/पारेषण दक्षिण/पारेषण मध्य,
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०,
इलाहाबाद/मेरठ/आगरा/लखनऊ।
मुख्यालय निधि प्रबन्ध इकाई,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :- PSDF मद में प्राप्त की जा रही ग्रांट के लेखांकन के सम्बन्ध में लेखांकन प्रक्रिया/निर्देश।

उप महाप्रबन्धक (लेखा), पारेषण मध्य, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० द्वारा यह उल्लेख करते हुए यह इंगित किया गया है कि NLDC द्वारा संचालित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से स्थापित फंड PSDF (Power System Development Fund) के क्रियान्वयन हेतु उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० की दो योजनाएं स्वीकृत हैं जिसमें योजना का 90% भाग ग्रांट के रूप में प्राप्त होगा तथा 10% भाग आंतरिक संसाधनों से उपलब्ध कराते हुए व्यय किया जाएगा जिसके लिए निधि अनुभाग मुख्यालय द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया में दो पृथक खाते खोले गए हैं तथा इनके संचालन हेतु उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० की Electricity Sub-station Design Circle-II, Lko के लिए पूर्व में आबंटित लोकेशन कोड 238 नया कोड 458, जो वर्तमान में अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार बन्द की जा चुकी है, मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (लोकेशन कोड 458) के नाम से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त ग्रांट का लेखांकन दिनांक 31.03.2016 के लेखों में सम्मिलित किए जाने हेतु बैंक खातों, कैपिटल ग्रांट (90%) एवं आंतरिक संसाधन (10%), प्रगतिशील कार्य (WIP) एवं स्थायी सम्पत्ति के लेखांकन की प्रक्रिया इकाई स्तर (मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई) एवं खण्डीय स्तर हेतु लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित किए जाने का अनुरोध भी किया गया है जिसके अनुक्रम में PSDF खाते के संचालन/क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी "Guidelines/Procedure for Disbursement of Fund from Power System Development Fund" तथा उदाहरणार्थ "Agreement" के अध्ययन/समीक्षापरांत कारपोरेट लेखा, मुख्यालय, का मत है कि PSDF हेतु प्राप्त ग्रांट एवं उससे तैयार की गई सम्पत्तियों इत्यादि की आवश्यकतानुरूप सुचारु तथा पारदर्शिता से (निगरानी) मानीटरिंग तभी सम्भव है जबकि विषयगत कार्य हेतु संचालित किए जा रहे बैंक खातों के सम्बन्ध में लेखांकन एक पृथक लोकेशन कोड की पुस्तकों में किया जाए। अतः बन्द की जा चुकी इकाई के लोकेशन कोड से बैंक खाता संचालित किए जाने की अपेक्षाकृत उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० में पूर्व में आबंटित लोकेशन कोड (239/461) मुख्यालय केन्द्रीय भुगतान, लखनऊ, जो कि अभी तक परिचालित नहीं हुई है, का इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे कि पीएसडीएफ सम्बन्धी कार्यों पर पारदर्शिता से प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

तदनुसार उक्त सम्बन्धवहारों हेतु लेखांकन प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(क) ग्रांट प्राप्त करने वाली इकाई की पुस्तकों में :

1. कैपिसिटर बैंक स्थापित किए जाने हेतु

समझौता (Agreement) निष्पादित होने पर परियोजना की कुल लागत (100%) के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा पीएसडीएफ के माध्यम से अवमुक्त किए जाने वाले 90% प्राप्य ग्रांट के लिए की जाने वाली प्रविष्टि (आंतरिक संसाधन से किए जाने वाले 10% व्यय हेतु धनराशि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निगम में अंश पूंजी निवेश के रूप में मांग के विरुद्ध उपलब्ध कराई जानी है) जिसके लिए धन प्राप्ति होने तथा तद् उपरान्त खर्च आदि के लेखांकन की निम्नलिखित प्रविष्टियों की जाएगी:-

1. प्रथम चरण (30%) / द्वितीय चरण (60%) / अन्तिम चरण (10%) में स्वीकृत ग्रांट की धनराशि की प्राप्ति पर की जाने वाली प्रविष्टि

24.xxx	Bank Account	Dr.	
47.912	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Capacitor Bank	Cr.	

2. पी0एस0डी0एफ0 फण्ड की गाइडलाइन में निहित निर्देशानुसार प्राप्त ग्रांट की धनराशि को आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतान से पूर्व तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के ब्याजमय जमा (Interest Bearing Deposits) में जमा करने पर

20.280	Investments in form of fixed deposits with Banks, Companies, etc	Dr.	
24.xxx	Bank Account	Cr.	

3. चूंकि खाते में प्राप्त ग्रांट की धनराशि पर ब्याज अर्जित/प्राप्त होने की दशा में पी0एस0डी0एफ0 खाता संचालित करने वाली इकाई द्वारा ब्याज की धनराशि को या तो (i) एन0एल0डी0सी0 (नोडल एजेंसी)/ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया जाना होगा अथवा (ii) एन0एल0डी0सी0 (नोडल एजेंसी)/ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को इसकी सूचना देते हुए अन्तिम किस्त की मांग ब्याज की राशि की सीमा तक कम करते हुए मांग की जानी होगी तथा अर्जित ब्याज की राशि को अन्तिम रूप से ग्रांट मद में अंतरित किया जाना होगा। अतः उक्त निवेश पर ब्याज अर्जन हेतु निम्नलिखित प्रविष्टि (क) एवं ब्याज की धनराशि वापस करने हेतु प्रविष्टि (ख) की जानी होगी:-

(क)	20.280	Investments in form of fixed deposits with Banks, Companies, etc	Dr.	
	47.912	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Capacitor Bank	Cr.	

(ख)	47.912	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Capacitor Bank	Dr.	
	24.xxx	Bank Account	Cr.	

(नोट: एन0एल0डी0सी0 (नोडल एजेंसी)/ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से अन्तिम किस्त की मांग ब्याज की राशि की सीमा तक कम करते हुए मांग किए जाने की दशा में कोई अतिरिक्त प्रविष्टि नहीं की जानी है)

4. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतान हेतु से पूर्व तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याजमय जमा (Interest Bearing Deposits) से धनराशि आहरित करने पर की जाने वाली प्रविष्टि (स्रोत पर आयकर कटौती यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए)

24.xxx	Bank Account	Dr.	
27.421	Income Tax deducted at Source Income from Investments	Dr.	
20.280	Investments in form of fixed deposits with Banks, Companies, etc	Cr.	

5. आन्तरिक संसाधन (10%) से व्यय हेतु मुख्यालय निधि प्रबन्ध से मांग के विरुद्ध धनराशि की प्राप्ति पर की जाने वाली प्रविष्टि

24.xxx	Bank Account	Dr.	
34.1000.05	Remittance from HQ against Earmarked Capital Works Expenditure A/C	Cr.	

6. कार्य कराने वाली इकाई को ग्रांट के विरुद्ध प्रथम (30%)/द्वितीय (60%)/अन्तिम चरण (10%) की प्राप्त धनराशि तथा आन्तरिक संसाधनों के सापेक्ष ATD के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि अवमुक्त करने पर की जाने वाली प्रविष्टि

37 xxx 31 / 32	Inter Unit Account - Cash Transaction - Within Zone / Outside Zone	Dr.	
24.xxx	Bank Account	Cr.	

7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात बची हुई धनराशि, यदि कोई हो तो उसे वापस करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

47.912	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Capacitor Bank	Dr.	
24.xxx	Bank Account	Cr.	

8. योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियमानुसार संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण होने तथा कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं पूंजीगत व्यय का विवरण कार्य कराने वाली इकाई से समस्त ATD की स्वीकृति सहित प्राप्त होने पर Deposit Work में दर्शित धनराशि को कार्य कराने वाली इकाई में ATC के माध्यम से अन्तरण हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

47.912	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Capacitor Bank	Dr.	लागत का 90% (ग्रांट की 100%)
37 xxx 41 / 42	Inter Unit Account - Other Adjustment - Within Zone / Outside Zone	Cr.	

II. नवीनीकरण एवं उन्नयन (Renovation & Upgradation) किए जाने हेतु

समझौता (Agreement) निष्पादित होने पर परियोजना की कुल लागत (100%) के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा पीएसडीएफ के माध्यम से अवमुक्त किए जाने वाले 90% प्रायः ग्रांट के लिए की जाने वाली प्रविष्टि (आंतरिक संसाधन से किए जाने वाले 10% व्यय हेतु धनराशि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निगम में अंश पूंजी निवेश के रूप में मांग के विरुद्ध उपलब्ध कराई जानी है) जिसके लिए धन प्राप्ति होने तथा तद् उपरान्त खर्च आदि के लेखांकन की निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी:-

1. प्रथम चरण (30%) / द्वितीय चरण (60%) / अन्तिम चरण (10%) में स्वीकृत ग्रांट की धनराशि की प्राप्ति पर की जाने वाली प्रविष्टि

24.xxx	Bank Account	Dr.	
47.913	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Renovation & Upgradation	Cr.	

2. पीएसडीएफ फण्ड की गाइडलाईन में निहित निर्देशानुसार प्राप्त ग्रांट की धनराशि को आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतान से पूर्व तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के ब्याजमय जमा (Interest Bearing Deposits) में जमा करने पर की जाने वाली प्रविष्टि

20.280	Investments in form of fixed deposits with Banks, Companies, etc	Dr.	
24.xxx	Bank Account	Cr.	

3. चूँकि खाते में प्राप्त ग्रांट की धनराशि पर ब्याज अर्जित/प्राप्त होने की दशा में पीएसडीएफ खाता संचालित करने वाली इकाई द्वारा ब्याज की धनराशि को या तो (i) एनएलडीसी (नोडल एजेंसी)/ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया जाना होगा अथवा (ii) एनएलडीसी (नोडल एजेंसी)/ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को इसकी सूचना देते हुए अन्तिम किस्त की मांग ब्याज की राशि की सीमा तक कम करते हुए मांग की जानी होगी तथा अर्जित ब्याज की राशि को अन्तिम रूप से ग्रांट मद में अंतरित किया जाना होगा। अतः उक्त निवेश पर ब्याज अर्जन हेतु निम्नलिखित प्रविष्टि (क) एवं ब्याज की धनराशि वापस करने हेतु प्रविष्टि (ख) की जानी होगी:-

(क)	20.280	Investments in form of fixed deposits with Banks, Companies, etc	Dr.	
	47.913	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Renovation & Upgradation	Cr.	

(ख)	47.913	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Renovation & Upgradation	Dr.	
	24.xxx	Bank Account	Cr.	

(नोट: एनएलडीसी (नोडल एजेंसी)/ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से अन्तिम किस्त की मांग ब्याज की राशि की सीमा तक कम करते हुए मांग किए जाने की दशा में कोई अतिरिक्त प्रविष्टि नहीं की जानी है)

4. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतान हेतु से पूर्व तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याजमय जमा (Interest Bearing Deposits) से धनराशि आहरित करने पर की जाने वाली प्रविष्टि (स्रोत पर आयकर कटौती यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए)

24.xxx	Bank Account	Dr.	
27.421	Income Tax deducted at Source Income from Investments	Dr.	
20.280	Investments in form of fixed deposits with Banks, Companies, etc	Cr.	

5. आन्तरिक संसाधन (10%) से व्यय हेतु मुख्यालय निधि प्रबन्ध से मांग के विरुद्ध धनराशि की प्राप्ति पर की जाने वाली प्रविष्टि

24.xxx	Bank Account	Dr.	
34.1000.05	Remittance from HQ against Earmarked Capital Works Expenditure A/C	Cr.	

6. कार्य कराने वाली इकाई को ग्रांट के विरुद्ध प्रथम (30%)/द्वितीय (60%)/अन्तिम चरण (10%) की प्राप्त धनराशि तथा आन्तरिक संसाधनों के सापेक्ष ATD के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि अवमुक्त करने पर की जाने वाली प्रविष्टि

37 xxx 31 / 32	Inter Unit Account - Cash Transaction - Within Zone / Outside Zone	Dr.	
24.xxx	Bank Account	Cr.	

7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात बची हुई धनराशि, यदि कोई हो तो उसे वापस करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

47.913	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Renovation & Upgradation	Dr.	
24.xxx	Bank Account	Cr.	

8. योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियमानुसार संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण होने तथा कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं पूंजीगत व्यय का विवरण कार्य कराने वाली इकाई से समस्त ATD की स्वीकृति सहित प्राप्त होने पर Deposit Work में दर्शित धनराशि को कार्य कराने वाली इकाई में ATC के माध्यम से अन्तरण हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

47.913	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Renovation & Upgradation	Dr.	लागत का 90% (ग्रांट की 100%)
37 xxx 41 / 42	Inter Unit Account - Other Adjustment - Within Zone / Outside Zone	Cr.	

(ख) कार्य कराने वाली इकाई की पुस्तकों में :

1. कैपिसिटर बैंक स्थापित किए जाने हेतु

1. कार्य कराने के लिए प्रथम (30%)/द्वितीय (60%)/अन्तिम चरण (10%) तथा आन्तरिक संसाधनों के सापेक्ष/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतान करने हेतु मांग पत्र के सापेक्ष ATD के माध्यम से प्राप्त धनराशि हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

24.xxx	Bank Account	Dr.	
37.xxx 31/32	Inter Unit Account - Cash Transaction - Within Zone / Outside Zone	Cr.	

2. कार्य पर हुए व्यय से सम्बन्धित दायित्व सृजन एवं भुगतान होने पर की जाने वाली प्रविष्टि

14.544	CWIP - Capacitor Bank (PSDF Funded)	Dr.	
45.3	Liabilities for Stores and Service Bills	Cr.	

45.3	Liabilities for Stores and Service Bills	Dr.	
24.xxx	Bank Account	Cr.	

3. कार्य के पूर्ण होने पर सम्पत्ति के पूंजीकरण/सम्बन्धित लेखा शीर्ष में की जाने वाली प्रविष्टि

10.544	Capacitor Bank (PSDF Funded)	Dr.	
14.544	CWIP - Capacitor Bank (PSDF Funded)	Cr.	

(नोट: उक्त प्रविष्टि से पूर्व इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं पूंजीगत व्यय का विवरण तथा इस मद में प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित समस्त ATD की

स्वीकृति धन उपलब्ध कराने इकाई (मानीटरिंग इकाई) को उपलब्ध करा दिया गया है तथा पूंजीगत ग्रांट मद में लेखांकन हेतु मानीटरिंग इकाई द्वारा इस आशय से निर्गत ATC प्राप्त हो गया हो।)

4. पूंजीगत ग्रांट मद में लेखांकन हेतु मानीटरिंग इकाई द्वारा इस आशय से निर्गत ATC प्राप्त होने पर की जाने वाली प्रविष्टियां

(क)	37.xxx 41/42	Inter Unit Account - Other Adjustment - Within Zone / Outside Zone	Dr.	
	47.912	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Capacitor Bank	Cr.	

(ख)	47.912	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Capacitor Bank	Dr.	
	55.302	Grants towards Capacitor Bank - Central Govt.	Cr.	

5. उक्त सम्पत्ति के व्यापारिक प्रयोग में लाए जाने के उपरान्त लेखांकन सिद्धान्तों के अनुपालन में हास/अवक्षयण भारत किए जाने हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

77.150	Plant & Machinery	Dr.	सम्पत्ति की मूल्य (100%)
12.544	Capacitor Bank (PSDF Funded)	Cr.	लागत पर

6. चूंकि पी0एस0डी0एफ0 फण्ड की गाइडलाइन में निहित निर्देशानुसार उक्त सम्पत्ति निर्माण हेतु प्राप्त ग्रांट की सीमा तक ए0आर0आर0 पिटीशन में टैरिफ की मांग निषिद्ध है अतः बिन्दु 5 में भारत अवक्षयण/हास से ग्रांट (सम्पत्ति लागत का 90%) की सीमा तक हास की राशि का दावा कम करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

55.302	Grant towards Capacitor Bank - Central Govt.	Dr.	अवक्षयण/हास की सकल राशि
77.150	Plant & Machinery	Cr.	का (90%)

7. विषयगत प्रयोजन हेतु प्राप्त ग्रांट की धनराशि के व्यय न होने की दशा में पी0एस0डी0एफ0 फण्ड की गाइडलाइन में निहित निर्देशानुसार आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतान से पूर्व तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के ब्याजमय जमा (Interest Bearing Deposits) में निवेशित करना है एवं इस पर अर्जित/प्राप्त ब्याज मानीटरिंग इकाई को उचित कार्यवाही हेतु वापस किया जाना सुनिश्चित करते हुए तदनुसार आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां सुनिश्चित किया जाना होगा।

II. नवीनीकरण एवं उन्नयन (Renovation & Upgradation) किए जाने हेतु

1. कार्य कराने के लिए प्रथम (30%)/द्वितीय (60%)/अन्तिम चरण (10%) तथा आन्तरिक संसाधनों के सापेक्ष/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतान करने हेतु मांग पत्र के सापेक्ष ATD के माध्यम से प्राप्त धनराशि हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

24.xxx	Bank Account	Dr.	
37.xxx 31/32	Inter Unit Account - Cash Transaction - Within Zone / Outside Zone	Cr.	

2. कार्य पर हुए व्यय से सम्बन्धित दायित्व सृजन एवं भुगतान होने पर की जाने वाली प्रविष्टि

14.545	CWIP - Renovation & Upgradation (PSDF Funded)	Dr.	
45.3	Liabilities for Stores and Service Bills	Cr.	

45.3	Liabilities for Stores and Service Bills	Dr.	
24.xxx	Bank Account	Cr.	

3. कार्य के पूर्ण होने पर सम्पत्ति के पूंजीकरण/सम्बन्धित लेखा शीर्ष में की जाने वाली प्रविष्टि

10.545	Renovation & Upgradation (PSDF Funded)	Dr.	
14.545	CWIP - Renovation & Upgradation (PSDF Funded)	Cr.	

(नोट: उक्त प्रविष्टि से पूर्व इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं पूंजीगत व्यय का विवरण तथा इस मद में प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित समस्त ATD की स्वीकृति धन उपलब्ध कराने इकाई (मानीटरिंग इकाई) को उपलब्ध करा दिया गया है तथा पूंजीगत ग्रांट मद में लेखांकन हेतु मानीटरिंग इकाई द्वारा इस आशय से निर्गत ATC प्राप्त हो गया हो।)

4. पूंजीगत ग्रांट मद में लेखांकन हेतु मानीटरिंग इकाई द्वारा इस आशय से निर्गत ATC प्राप्त होने पर की जाने वाली प्रविष्टियां

(क)	37.xxx 41/42	Inter Unit Account - Other Adjustment - Within Zone / Outside Zone	Dr.	
	47.913	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Renovation & Upgradation	Cr.	

(ख)	47.913	Deposit Work Against Central Govt. Grant - PSDF Contribution - Renovation & Upgradation	Dr.	
	55.303	Grants towards Renovation & Upgradation - Central Govt.	Cr.	

5. उक्त सम्पत्ति के व्यापारिक प्रयोग में लाए जाने के उपरान्त लेखांकन सिद्धान्तों के अनुपालन में हास/अवक्षयण भारित किए जाने हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

77.150	Plant & Machinery	Dr.	सम्पत्ति की सकल (100%) लागत पर
12.545	Renovation & Upgradation (PSDF Funded)	Cr.	

6. चूंकि पी0एस0डी0एफ0 फण्ड की गाइडलाइन में निहित निर्देशानुसार उक्त सम्पत्ति निर्माण हेतु प्राप्त ग्रांट की सीमा तक ए0आर0आर0 पिटीशन में टैरिफ की मांग निषिद्ध है अतः बिन्दु 5 में भारित अवक्षयण/हास से ग्रांट (सम्पत्ति लागत का 90%) की सीमा तक हास की राशि का दावा कम करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टि

55.303	Grants towards Renovation & Upgradation - Central Govt.	Dr.	अवक्षयण/हास की सकल राशि का (90%)
77.150	Plant & Machinery	Cr.	

7. विषयगत प्रयोजन हेतु प्राप्त ग्रांट की धनराशि के व्यय न होने की दशा में पी0एस0डी0एफ0 फण्ड की गाइडलाइन में निहित निर्देशानुसार आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतान से पूर्व तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के ब्याजमय जमा (Interest Bearing Deposits) में निवेशित करना है एवं इस पर अर्जित/प्राप्त ब्याज मानीटरिंग इकाई को उचित कार्यवाही हेतु वापस किया जाना सुनिश्चित करते हुए तदनुसार आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां सुनिश्चित किया जाना होगा।

(ग) निधि प्रबन्ध (मुख्यालय) की पुस्तकों में :

1. आंतरिक संसाधन से किए जाने वाले 10% व्यय हेतु धनराशि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मांग के विरुद्ध निगम में अंश पूंजी निवेश के रूप में धनराशि प्राप्त होने पर की जाने वाली प्रविष्टियां

24.xxx	Bank Account	Dr.	
52.603	Share Application Money	Cr.	

52.603	Share Application Money	Dr.	
52.601	Share Capital	Cr.	

2. आन्तरिक संसाधन (10%) से व्यय हेतु मानीटरिंग इकाई (मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई) को मांग के विरुद्ध धनराशि प्रेषित करने पर की जाने वाली प्रविष्टि

34.1000.05	Remittance from HQ against Earmarked Capital Works Expenditure A/C	Dr.	
24.xxx	Bank Account	Cr.	

(डा० उमा कान्त यादव)
उप महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

पत्रांक - 170 / उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० / लेखाशीर्ष (44) /

तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया आवश्यक कार्यवाही/लेखांकन सुनिश्चित करने/कराने की कृपा करें:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. निदेशक (वित्त)/का०प्र० एवं प्रशासन/(कार्य एवं परियोजना)/(आपरेशन)/(वाणिज्य), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० के निजी सचिव शक्ति भवन, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा, सम्प्रेक्षा एवं वित्त), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम)/(पारेषण मध्य)/(पारेषण दक्षिण)/(पारेषण पूर्व), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, मेरठ/लखनऊ/आगरा/इलाहाबाद।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण- II, उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय पारेषण पश्चिम/पारेषण मध्य/पारेषण पूर्व/पारेषण दक्षिण, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, मेरठ/लखनऊ/इलाहाबाद/आगरा को अग्रेतर अधीनस्थ लेखीय इकाईयों में तदनुसार प्रसार करके आवश्यकतानुसार लेखांकन सुनिश्चित कराने हेतु।
8. उप महाप्रबन्धक (पारेषण मुख्यालय भुगतान), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, प्रथम तल, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ।
9. अभिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, शक्ति भवन (विस्तार) लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

34/12/16
(डा० उमा कान्त यादव) 28/6/2017
उप महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)